बजट की मुख्य घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	20	बारहवीं योजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल एवं कारगर बनाने तथा उनकी संख्या घटाने और आयोजना एवं आयोजना-भिन्न वर्गीकरण का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निधियों की बेहतर पकड़ तथा उपयोग को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय आयोजना स्कीम मॉनिटरिंग प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग]	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल तथा उनकी संख्या कम करना एक नीतिगत विषय है तथा इसे 12वीं योजना के क्रियान्वयन की अवधि के दौरान प्रस्तावित नई योजनाओं के मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जाएगा। जहां तक चल रही योजनाओं का संबंध है, 'केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनर्संरचना' पर बनी बी.के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, योजना आयोग ने एक मंत्रिमंडल टिप्पण तैयार किया है। इस पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किया जा रहा है। 12वी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय आयोजना स्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल टिप्पण तैयार किया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
2.	22	सरकार ने निर्णय लिया है कि 2012-13 से खाद्य से सम्बद्ध सब्सिडियां और खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अन्य सभी सब्सिडियों को उस सीमा तक वित्तपोषित किया जाएगा जहां तक कि वे अर्थव्यवस्था में बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के बनी रह सकें। मेरा प्रयास होगा कि 2012-13 में केन्द्रीय सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से नीचे रखा जाए। आगामी तीन वर्षों में इसे पुनः घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.75 प्रतिशत पर लाया जाएगा। सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसा उपाय करना आवश्यक है। हमारा प्रयास अब सब्सिडियों की बेहतर लक्षित प्रणाली और दोषरहित सुपुर्दगी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने पर होगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : व्यय विभाग, उर्वरक विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय]	राजवित्तीय समेकन रूपरेखा तैयार करने के लिए, श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है तथा भारत सरकार के समग्र सब्सिडी व्यय को न्यूनतम संभव स्तर तक रखने की सिफारिशों के आधार पर, और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। ***कार्य प्रगति पर***
3.	23	श्री नन्दन नीलेकणि की अध्यक्षता में सब्सिडी के प्रत्यक्ष अन्तरण के लिए आईटी नीति के सम्बन्ध में कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर, मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबन्ध प्रणाली (एमएफएमएस) तैयार की गयी है ताकि विनिर्माणकर्ता से लेकर खुदरा क्षेत्र तक उर्वरकों की आवाजाही तथा सब्सिडियों पर बराबर नजर रखी जा सके। इसे 2012 के दौरान सम्पूर्ण देश में लागू किया जाएगा। खुदरा व्यापारी और अन्त में किसानों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष अन्तरण अनुवर्ती चरणों में किया जाएगा। उर्वरकों के दुरुपयोग में कमी लाकर सब्सिडियों पर व्यय को कम करने के इस उपाय से 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभाग : उर्वरक विभाग]	मोबाइल उर्वरक मॉनिटरिंग प्रणाली का चरण-I, 01 नवंबर, 2012 से लागू हो गया है। यह प्रणाली अंतिम रिटेल प्वाइंट तक उर्वरकों की स्टॉक स्थिति, विक्रय और प्राप्ति के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई है। उर्वरक कम्पनियां, खुदरा एवं थोक व्यापारी वैब या मोबाइल का प्रयोग करके इस प्रणाली के पोर्टल (http://mfns.nic.in) पर डाटा अद्यतन कर सकते हैं। इस प्रणाली की मदद से, प्लांट/पत्तन से खुदरा व्यापारी स्तर तक उर्वरकों की आवाजाही का पता लगाना संभव होगा। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग अगले चरण में ग्यारह राज्यों के 12 जिलों में इसे प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित करेगा ताकि खुदरा व्यापारी से किसान तक उर्वरकों की आवाजाही का पता लग सके। इन प्रायोगिक जिलों में, विनिर्माणकर्ताओं को सब्सिडी के अंश को खुदरा व्यापारियों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले उर्वरकों के विक्रय से संबद्ध किया जाएगा। इससे उर्वरकों के सप्लाई चेन

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			प्रबंध में संयंत्र/पत्तन से उपभोक्ताओं तक सब्सिडीकृत उर्वरकों का हिसाब-किताब रखा जा सकेगा। इन प्रायोगिक योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात, अगला चरण शुरू होगा। इसमें किसानों को नकद सब्सिडी अंतरित की जाएगी। इसके लिए, आधार समर्थित बैंक खाते का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ, आधार समर्थित बैंक खाते वाले किसानों का विश्वसनीय डाटाबेस सृजित किए जाने पर, चरण-।। सम्पूर्ण देश में लागू हो जाएगा। ***कार्रवाई पूर्ण***
4.	24	सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तीन तेल विपणन कम्पनियों ने ग्राहक सेवा में सुधार करने तथा रिसाव कम करने हेतु एलपीजी पारदर्शिता पोर्टल्स की शुरुआत की है। बाजार मूल्य पर एलपीजी के क्रय तथा सब्सिडी की प्रतिपूर्ति सीधे लाभग्राही के बैंक खाते में करने की एक प्रायोगिक परियोजना मैसूर में शुरु की गई है। किरोसीन पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष अन्तरण को लाभग्राही के बैंक खाते में करने की ऐसी ही एक प्रायोगिक परियोजना राजस्थान के अलवर जिले में प्रारम्भ की गयी है। झारखण्ड राज्य में आधार प्लेटफार्म को भी पीडीएस राशन कार्डों की वैधता हेतु सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय]	सब्सिडी के नकद अंतरण की योजना अलवर जिले की कोटकासिम तहसील में शुरू की गयी है। कुल 77.26 लाख रुपए की राशि 13,458 बैंक खातों में जमा की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
5.	25	इन प्रायोगिक परियोजनाओं से यह परिलक्षित होता है कि सब्सिडी व्यय में पर्याप्त किफायती आधार प्लेटफार्म के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास होगा कि इन आधार समर्थित भुगतानों में आगामी छह महीनों के भीतर कम से कम 50 चुनिंदा जिलों में अनेक सरकारी योजनाओं हेतु और तेजी लाई जाए। [नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग]	प्रारंभ में, 26 चुनिंदा सरकारी योजनाओं में आधार समर्थित भुगतान के लिए 51 जिलों की पहचान की गई थी जिनमें से हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 8 जिलों को वहां विधान सभा चुनाव के कारण छोड़ दिया गया था। तथापि, शेष 43 जिलों में सीधे प्रसुविधा अंतरण करने की एक चरणबद्ध कार्य-योजना बनाई गई है। यह कार्ययोजना 20 जिलों में 26 चुनिंदा येाजनाओं के लिए 01.01.2013 को शुरू की गई है। यह 01.02.2013 से 11 और जिलों में तथा 01.03.2013 से शेष 12 जिलों में शुरू हो जाएगी। ***कार्रवाई पूर्ण***
6.	26	**कर सुधार** जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक अगस्त 2010 में संसद में पुरःस्थापित किया गया था। हमारी यह पूरी इच्छा थी कि इस प्रत्यक्ष कर संहिता को 01 अप्रैल, 2012 से लागू किया जाए। तथापि, हमें 9 मार्च, 2012 को संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हम इस रिपोर्ट की शीघ्र जांच करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमन हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक, 2010 को स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच के पश्चात्, विचार के लिए लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
7.	27	इसी प्रकार, संविधान संशोधन विधेयक, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन की दिशा में एक प्रारम्भिक उपाय है, मार्च, 2011 में संसद में पुरःस्थापित किया गया था और यह संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है। चूंकि हमें इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है, केन्द्र तथा राज्य के वस्तु एवं सेवा कर हेतु मॉडल विधान का मसौदा तैयार करने का कार्य राज्यों के साथ परामर्श करते हुए प्रगति पर है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त/कराधान मंत्रियों के बीच हुए विचार-विमर्शों के दौरान निर्णय लिया गया है, वस्तु एवं सेवा कर डिजाइन के संबंध में एक समिति गठित की गयी है। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों से मिलकर बनी है। इसने अपनी रिपोर्ट (21.01.2013 को) प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की जांच विधायी विभाग के परामर्श से राजस्व विभाग में की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
8.	28	राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की संरचना को अनुमोदित कर दिया गया है। यह नेटवर्क एक राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र के तौर पर स्थापित किया जाएगा और अगस्त 2012 तक काम करना शुरु कर देगा। जीएसटीएन सभी राज्यों के लिए साझेदारी आधार पर समान पैन-आधारित पंजीकरण, विवरणियां दर्ज करना और भुगतान प्रोसेसिंग को कार्यान्वित करेगा। पैन का उपयोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए समान पहचानकर्ता रूप में किया जाएगा जो पारदर्शिता को बढ़ाएगा तथा कर अपवंचन को रोकेगा। मैं सभी सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ कि वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इन ऐतिहासिक विधानों के शीघ्र पारित किए जाने हेतु समर्थन दें। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	कंपनी का निगमीकरण संबंधी प्रस्ताव राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति द्वारा 13.7.2012 को सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया है। तदनुसार प्रस्ताव संशोधित किया गया है तथा इसकी जांच राजस्व विभाग में की जा रही है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के अध्यक्ष का चयन करने का मेकानिज्म भी सशक्त समिति ने 8.11.2012 को अनुमोदित किया। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को शीघ्रातिशीघ्र शामिल करने के प्रयास जारी हैं। ***कार्य प्रगति पर***
9.	30	2011-12 में, 40,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, सरकार विनिवेश से लगभग 14,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। 2012-13 में, मैं विनिवेश के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि जहां हम सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के स्वामित्व में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हैं, वहीं इनमें कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व तथा प्रबन्ध नियंत्रण सरकार के पास होगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : विनिवेश विभाग]	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड में शेयरों के विनिवेश से अब तक कुल 6905 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। ***कार्य प्रगति पर***
10.	32	**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश** संगठित रिटेल, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों को लाभान्वित करते हुए, भारी किफायत की वजह से मध्यस्थ लागत को घटाने में मदद करता है। वर्तमान में, एफडीआई की अनुमति सिंगल ब्रांड	2012 का प्रेस नोट 5 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा 20.9.2012 को जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		तथा ''नकद दो और माल लो'' थोक व्यापार में 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध है। विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना करने पर मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान करने का निर्णय आस्थगित रखा गया है। राज्य सरकारों से परामर्श करके एक व्यापक सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : प्रौद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग]	
11.	33	**अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार** विस्तारित सीमा-पार उत्पादन श्रृंखलाओं तथा एक ही समूह की इकाइयों के भीतर बढ़ते व्यापार के साथ वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार कर-मुकदमेबाजी में भारी कमी ला सकता है और विदेशी निवेशकों को कर निश्चितता की व्यवस्था प्रदान कर सकता है। यद्यपि अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार के प्रावधान को प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 में शामिल किया गया है, मैं वित्त विधेयक, 2012 में इसको लाकर इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	अग्रिम मूल्य-निर्धारण नियमों को अधिसूचना सं.36/ 2012, एस.ओ. 2005 (ई) तारीख 30 अगस्त, 2012 द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये नियम उसी तारीख से प्रभावी हो गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
12.	35	वित्तीय लिखतों में निर्बाध बचतों को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू पूंजी बाजार की संरचना में सुधार करने हेतु, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना नामक एक नई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। यह योजना ऐसे नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत की आयकर कटौती की अनुमति प्रदान करेगी जो सीधे 50,000 रुपए इक्विटियों में निवेश करते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम है। इस योजना की समयबंदी (लॉक-इन पीरियड) 3 वर्ष होगी। योजना का ब्यौरा यथासमय घोषित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग और राजस्व विभाग]	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना 23.11.2012 को अधिसूचित की थी और यह योजना उसी तारीख से प्रभावी हो गई। ***कार्रवाई पूर्ण***
13.	37	मैं, अब पूंजी बाजार में सुधारों को और तीव्र करने हेतु निम्न आगामी उपायों का प्रस्ताव करता हूँः • अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को भारतीय कारपोरेट बांड बाजार में पहुंच की अनुमति प्रदान करना;	आरबीआई और सेबी ने क्रमशः 16 जुलाई, 2012 और 18 जुलाई, 2012 को परिपत्र जारी कर दिए हैं। कॉरपोरेट बांडों एवं म्यूचुअल फंड डेब्ट स्कीमों में अर्हक विदेशी निवेशकों के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर की एक पृथक उपसीमा सृजित की गयी है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		• प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, उनकी लागत कम करना तथा कम्पनियों को छोटे कस्बों में अधिक खुदरा निवेशकों तक पहुंच बनाने में मदद करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मौजूदा आईपीओ प्रक्रिया के अलावा, मैं, कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव करता हूँ कि वे स्टॉक एक्सचेंजों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप में 10 करोड़ रुपए तथा अधिक की राशि के आईपीओ जारी करें;	सेबी ने 4 अक्टूबर, 2012 को अपेक्षित परिपत्र जारी कर दिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• शेयरधारक की वोटिंग सम्बन्धी मौजूदा प्रक्रिया के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के जरिए कम्पनियों के महत्वपूर्ण निर्णयों में शेयरधारक की व्यापक भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना, जिसे प्रारम्भ में शीर्ष सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा; और	स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इक्विटी सूचीबद्ध करार में किए जाने वाले आवश्यक संशोधन सेबी ने 13 जुलाई, 2012 को कर दिए हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:- क. बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टाकएक्सचेंज (एनएसई) में पोस्टल बैलेट के माध्यम से किए जाने वाले कारबारों के संबंध में बाजार पूंजीकरण पर आधारित चुनी गई शीर्ष 500 सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनिवार्य कर दी गयी है। ख. सूचीबद्ध कम्पनियां इन दो एजेंसियों केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) में से किसी एक एजेंसी को चुन सकती हैं। ये एजेंसियां, वर्तमान में, ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही हैं। ये प्लेटफार्म किसी भी शेयरहोल्डर को प्रत्यक्ष अथवा डिमैट प्ररूप में शेयर धारण करने की अनुमति देते हैं जिससे कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट दे सके चाहे वह किसी भी निक्षेपागार के साथ शेयर धारण करता हो। ग. यह शेयरहोल्डर की बैठकों के लिए लागू होंगे जिसके लिए नोटिस 01 अक्तूबर, 2012 को या उसके बाद जारी कर दिए गए हैं। तथापि, सूचीबद्ध कंपनियां बैठक में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके लिए सूचना, 01 अक्तूबर, 2012 से पहले भेज दी गयी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• उच्चतम सीमा के अधीन भारतीय पूंजी बाजार में अपेक्षाकृत अधिक विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों में दो तरफा समरूपता की अनुमति देना। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	आरबीआई और सेबी ने भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों (आईडीआर) की दो तरफा समरूपता के क्रियान्वयन के बारे में अंतिम परिपत्र 28 अगस्त, 2012 को जारी कर दिए थे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी कंपनी (भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम) संशोधन नियम, 2012 के बारे में 01 अक्तूबर, 2012 को अधिसूचना जारी कर दी है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
14.	38	**विधायी सुधार** हमें ''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011'', ''बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 तथा ''बीमा विधि (संशोधन) विधेयक 2008'' के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं। इन विधेयकों के सम्बन्ध में सरकारी संशोधनों को संसद के इस सत्र में लाया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	'बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011' के आधिकारिक संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए थे तथा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (18.01.2013 से) प्रभावी हो गया है। मंत्रिमंडल ने शेष दो विधेयकों के संशोधनों को अनुमोदित कर दिया है, और इन्हें बजट सत्र 2013 में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
15.	39	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधारों को और आगे बढ़ाने के लिए, सरकार संसद के बजट सत्र में निम्नलिखित विधेयक लाने का प्रस्ताव करती है;	विधेयक संसद में 22.05.2012 को पुरःस्थापित किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012; [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	
		• राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012; [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	विधेयक लोक सभा में 30.04.2012 को पुरःस्थापित किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012 [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	विधेयक लोक सभा में 22.05.2012 को पुरःस्थापित किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन), विधेयक, 2012; [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के संशोधन के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण मंत्रिमंडल सचिवालय के पास भेजा गया है ताकि उस पर मंत्रिमंडल विचार कर सके। ***कार्य प्रगति पर***
		• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012; [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के संशोधन के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण मंत्रिमंडल सचिवालय के पास भेजा गया है ताकि उस पर मंत्रिमंडल विचार कर सके। ***कार्य प्रगति पर***
		• भारतीय स्टॉम्प (संशोधन) विधेयक, 2012; और [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	विधेयक के प्रारूप की जांच विधायी विभाग के परामर्श से की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
		• भारतीय लोक ऋण प्रबंध अभिकरण विधेयक, 2012। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	विधि मंत्रालय के साथ परामर्श पूरे हो गए हैं। इस विधेयक को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, इस पर आर्थिक कार्य विभाग में कार्रवाई की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
16.	41	**बैंकों और वित्तीय स्वामित्व वाली कंपनियों का पूंजीकरण** सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा संरक्षित करने के प्रति कृतसंकल्प है। वर्ष 2012-13 के लिए, मैं नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए 15,888 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार वित्तीय स्वामित्व वाली एक कंपनी बनाए जाने की संभावना भी तलाश रही है। यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजीकरण** मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। ग्यारह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 200 करोड़ रुपए की राशि 08.07.2012 को जारी कर दी गई है। इसके अलावा और राशि, संशोधित अनुमान को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात और संबंधित राज्य सरकारों एवं प्रायोजित बैंकों द्वारा आनुपातिक हिस्सा जारी कर दिए जाने पर, जारी की जाएगी। **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का पूंजीकरण** 108.20 करोड़ रुपए की राशि 08.07.2012 को जारी कर दी गयी है । **पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूंजीकरण** मंत्रिमंडल ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है तथा 12,517 करोड़ रुपए की राशि यथासमय जारी की जाएगी। **पब्लिक सेक्टर बैंकों की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्वामित्व वाली कंपनी का सृजन** पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए वित्तीय स्वामित्व वाली एक कंपनी की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किया जा रहा है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
17.	42	बैंक भुगतान संरचना को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए, एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जो 2012-13 में कार्यान्वित की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया में दुविधा तथा दोहराव से बचने और आंकड़ों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से, 2012-13 में एक केन्द्रीय अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निक्षेपागार स्कीम तैयार की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	**बैंकिंग भुगतान संरचना को वैश्विक मानकों के समरूप लाना।** इस विषय पर गठित मुख्य परामर्शी समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। तारीख 17.07.2012 के आदेश द्वारा सचिव (वित्तीय सेवा) की अध्यक्षता में गठित समिति अब भुगतान संरचना संबंधी सिफारिशों के क्रियान्वयन से अवगत है। **अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) नामक निक्षेपागार** केवाईसी निक्षेपागार विकसित करने पर समिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
18.	43	**प्राथमिकता क्षेत्र ऋण** मौजूदा वर्गीकरण की दुबारा जांच करने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके संशोधित दिशा-निर्देशों को जारी कर दिया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश आरबीआई ने 20.07.2012 को जारी कर दिए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
19.	44	**वित्तीय समावेशन** वर्ष 2010-11 में, 2000 से ज्यादा आबादी वाली बस्तियों में बिजनेस सम्पर्कियों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए ''स्वाभिमान अभियान'' अभियान शुरु किया गया था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मार्च 2012 तक समाविष्ट की जाने वाली 73,000 अभिज्ञात बस्तियों में से, लगभग 70,000 बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई गयी हैं। इसके साथ ही, 2.55 करोड़ रुपए से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। शेष बस्तियों को भी 31 मार्च, 2012 तक समाविष्ट किए जाने की संभावना है। अगले कदम के तौर पर, इन इलाकों में बहुत छोटी-छोटी (अल्ट्रा स्मॉल) शाखाएं खोली जा रही हैं। यहां बिजनेस सम्पर्की नकद लेन-देन करेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	स्वाभिमान अभियान के तहत शामिल करने हेतु अभिज्ञात 2000 से अधिक जनसंख्या वाली 74,398 बस्तियों में से, 31 मार्च 2012 तक 74194 बस्तियों को शाखाओं, बिजनेस सम्पर्की अभिकरणों (बीसीए), मोबाइल शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। 62,000 से अधिक बीसीए नियुक्त किए गए हैं और लगभग 3.16 करोड़ वित्तीय समावेशन खाते खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, पब्लिक सेक्टर बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने (30.11.2012 तक) कुल 39,934 अत्यंत लघु शाखाएं खोली हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
20.	45	वर्ष 2012-13 में, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के 1000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में तथा जनगणना 2011 के अनुसार 2,000 से अधिक की आबादी वाली अन्य बस्तियों में ''स्वाभिमान'' अभियान चलाने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	चूंकि गांव स्तर पर जनसंख्या 2011 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, 1600-2000 (2001 जनगणना के अनुसार) की आबादी वाले गांवों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आशा है कि जनगणना 2011 के अनुसार इन गांवों की जनसंख्या 2000 को पार कर गयी होगी। इन गांवों की पहचान, आवंटन और समाविष्ट करने हेतु तथा पर्वतीय और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के 1000-2000 की आबादी वाले गांवों के लिए आवश्यक अनुदेश मई, 2012 में जारी कर दिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
21.	47	सरकार ने वित्तीय तौर पर कमजोर 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण की प्रक्रिया शुरु की है और फरवरी 2012 के अन्त तक इनमें से 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का काम पूरा हो चुका है। मैं कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण स्कीम को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सभी राज्य इसमें अपना योगदान कर सकें। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण संबंधी स्कीम के विस्तार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
22.	49	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी सहायता योजना के अन्तर्गत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ), इस क्षेत्र में निजी निवेश आकृष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण लिखत है। इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई (बांध, चैनलों और तटबंधों) टर्मिनल बाजारों, कृषि मंडियों में सामान्य अवसंरचना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और उर्वरक क्षेत्र में पूंजी निवेश	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल निधियन हेतु पात्रता के रूप में निम्नलिखित उप-क्षेत्र 24.03.2012 को अधिसूचित किए गए हैं: (क) तेल/गैस/लिक्वीफाइड नेचुरल गैस(एलएनजी) भंडारण सुविधा (नगर गैस वितरण नेटवर्क सहित); (ख) तेल एवं गैस पाइपलाइन (नगर गैस वितरण नेटवर्क सहित); (ग) सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि);

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		को इस स्कीम के अन्तर्गत वीजीएफ के लिए पात्र बनाया जाए। तेल एवं गैस/एलएनजी भण्डार सुविधाओं तथा तेल एवं गैस पाइपलाइनों, दूर संचार के लिए स्थायी नेटवर्क और दूर-संचार टावरों को भी वीजीएफ के लिए पात्र क्षेत्र बनाया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	(घ) दूरसंचार (स्थायी नेटवर्क) (ऑप्टिक फाइबर/वायर/ केबल नेटवर्क, जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध करता है, सहित); (ङ) दूरसंचार टावर्स; (च) सीमावर्ती बाजार; (छ) कृषि मंडियों में सामान्य अवसंरचना; और (ज) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं। उर्वरक विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी सहायता योजना के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतराल निधियन के पात्र सेक्टर के रूप में उर्वरक सेक्टर को अधिसूचित न किया जाए। ***कार्रवाई पूर्ण***
23.	52	वर्ष 2011-12 के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 30,000 करोड़ रुपए के करमुक्त बांडों की घोषणा की गयी थी। मैं, 2012-13 में इसे बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें एनएचएआई के लिए 10,000 करोड़ रुपए, आईआरएफसी के लिए 10,000 करोड़ रुपए, आईआईएफसीएल के लिए 10,000 करोड़ रुपए, हुडको के लिए 5,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 5,000 करोड़ रुपए, सिडबी के लिए 5,000 करोड़ रुपए, पत्तनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए और विद्युत के लिए 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	बजट में प्रस्तावित 60,000 करोड़ रुपए के मुकाबले, 53,500 करोड़ रुपए की कुल राशि वित्त वर्ष 2012-13 में करमुक्त बांड जारी करने के लिए अनुमोदित की गई है और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचना 6.11.12 को जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
24.	53	अवसंरचना क्षेत्रों की एक सुमेलित मास्टर सूची सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इससे नीतिगत तथा विनियामक व्यवस्थापन में अस्पष्टता दूर करने और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	अवसंरचना सेक्टरों की एक सुमेलित मास्टर सूची के लिए अधिसूचना 28.3. 2012 को जारी कर दी गई है। इस सुमेलित मास्टर सूची को अद्यतन करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की भी स्थापना की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
25.	57	**विद्यत और कोयला** विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, ईंधन आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पादन की संभावनाओं को धूमिल कर रही हैं। इससे मुक्ति के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को परामर्श दिया गया है कि वह उन विद्युत संयंत्रों, जिन्होंने डिसकॉम के साथ दीर्घकालिक पावर परचेज करार निष्पादित कर लिए हैं और जो 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व चालू हो जाएंगे, के साथ ईंधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर करें। आबंटित कोयला खानों की आवधिक समीक्षा तथा आवश्यक होने पर वि-आबंटन (डी-अलोकेशन) पर	60,000 मेगावाट क्षमता की अभिज्ञात विद्युत परियोजनाओं के संबंध में 2014-15 तक कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कुल 143 फ्यूल सप्लाई करार हस्ताक्षरित किए जाने हैं जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कोयला आपूर्ति के लिए आश्वस्त किया गया है। इन 143 फ्यूल सप्लाई करारों में से, 92 करार 2012-13 की समाप्ति तक हस्ताक्षरित किए जाने हैं। अब तक 46 फ्यूल सप्लाई करार हस्ताक्षरित किए गए हैं। कोयला खानों के आबंटन की जांच करने के लिए एक अतर-मंत्रालयीय ग्रुप 21.6.2012 को गठित किया गया था, जिसने 58

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		सिफारिशें देने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयी दल की स्थापना की जा रही है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : कोयला मंत्रालय]	प्रकरणों जिनके लिए कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी कर दिए गए थे, और 18 अन्य मामलों, जहां पहले की गई समीक्षाओं के आधार पर बैंक गारंटी वापसी लेने का निर्णय लिया गया था, की समीक्षा के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस ग्रुप ने 29 कम्पनियों को आबंटित किए गए 13 कोयला खण्डों का आबंटन रद्द करने, 19 कम्पनियों को आबंटित किए गए 14 खण्डों के मामले में बैंक गारंटी वापस लेने तथा 01 कोयला खण्ड के मामले में बैंक गारंटी अधिरोपित करने की सिफारिश की गई है। दो कम्पनियों को आबंटित किए गए 3 कोयला खण्डों के मामले में कोई कार्रवाई न करने की सिफारिश की गई है। इस अतर-मंत्रालयीय ग्रुप की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। ***कार्रवाई आंशिक रुप से पूर्ण***
26.	58	मैं, मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के अंश निधियन रुपया ऋणों को विदेशी वाणिज्यिक उधारों की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति 18 अप्रैल, 2012 को जारी की गई, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र 20 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***
27.	59	**परिवहनः सड़क और नागर विमानन** सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचडीपी के अन्तर्गत 2011-12 में 7,300 कि.मी. लम्बाई को कवर करते हुए परियोजनाएं देने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना नियत किया है। यह 2010-11 में अभी तक प्रदत्त सर्वाधिक लम्बाई 5,082 कि.मी. से 44 प्रतिशत ज्यादा है। 2011-12 के दौरान प्रदत्त 44 परियोजनाओं में से, 24 परियोजनाओं ने प्रीमियम आकृष्ट किया है। मैं, अगले वर्ष एनएचडीपी के तहत 8,800 कि.मी. की लम्बाई कवर करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2012-13 में इस मंत्रालय का आवंटन 14 प्रतिशत बढ़ाते हुए 25,360 करोड़ रुपए कर दिया गया है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय]	15.01.2013 तक कुल 879.90 कि.मी. की सड़क लम्बाई तथा 7073.26 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली नौ परियोजनाएं सौंपी गई हैं। ***कार्य प्रगति पर***
28.	60	सड़क निर्माण परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, सड़कों तथा राजमार्गों, बशर्ते कि वे मूल परियोजनाओं का भाग हों, के लिए पथ-कर प्रणाली को संचालित करने व इसके रख-रखाव पर पूंजीगत व्यय के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति 18 अप्रैल, 2012 को जारी की गई, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र 20 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
29.	62	नागर विमानन क्षेत्र के तात्कालिक वित्तीय सरकारों के निवारण के लिए, मैं 1 बिलियन अमरीकी डालर की कुल सीमा के अधीन रहते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए एयरलाइन उद्योगों की कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति 18 अप्रैल, 2012 को जारी की गई, तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र 20 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***
30.	63	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के परिचालन में कार्यरत किसी हवाई परिवहन उपक्रम की इक्विटी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी हेतु विदेशी एयरलाइन कंपनियों को अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : नागर विमानन मंत्रालय]	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रेस नोट सं.6(2012 श्रृंखला) 20.9.2012 को जारी किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***
31.	64	**दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर** पश्चिमी समर्पित रेल ढुलाई कॉरिडोर के साथ-साथ इसके दोनों ओर दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में पर्याप्त प्रगति हुई है। सितम्बर 2011 में, 5 वर्ष की अवधि के लिए 18,500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने डीएमआईसी परियोजना में जापानी सहायता के रूप में 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की घोषणा की है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग]	दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि के लोक न्यास का विलेख 27.9.2012 को निष्पादित किया गया है और इस न्यास की पहली बैठक भी उसी दिन आयोजित की गई थी। इस परियोजना के लिए बजट अनुमान 2012-13 के अंतर्गत 411.4 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि के सैटलर के रूप में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने इस न्यास की मुख्य संग्रह राशि में प्रारंभिक अंशदान के रूप में 312.4 करोड़ रुपए का अंशदान किया है तथा इस न्यास के लिए अतिरिक्त संग्रह राशि के रूप में और 99 करोड़ रुपए की राशि दी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
32.	65	आवास क्षेत्र महानगरों और कस्बों में रहने वाले निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवास की कमी को देखते हुए, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँः • कम लागत वाली किफायती आवास परियोजनाओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देना;	अधिसूचना 17.12.2012 को जारी की गयी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• आवासीय ऋणों के लिए संस्थागत ऋण की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऋण गारंटी ट्रस्ट निधि की स्थापना;	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फन्ड की स्थापना की है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• ग्रामीण आवास निधि के तहत प्रावधान को 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए करना;	निधि राशि बढ़ा दी गयी है और मार्च 2012 के अंतिम सूचित शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता सेक्टर उधार लक्ष्यों की कमी के आधार पर आरबीआई द्वारा बैंकों का आवंटन किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		• 15 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना का एक और वर्ष के लिए विस्तार करना, जहाँ मकान की लागत 25 लाख रुपए से अधिक न हो; और	राशि जारी करने का आदेश वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 24.09.2012 को जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अप्रत्यक्ष वित्त की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग]	प्राथमिकता सेक्टर उधार के बारे में अधिसूचना आरबीआई द्वारा 20.7.2012 को जारी की गयी थी तथा लक्ष्यों पर स्पष्टीकरण और वर्गीकरण 17.10.2012 को जारी किए गए। ***कार्रवाई पूर्ण***
33.	66	**उर्वरक** यूरिया में भारत की आयात-निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने यूरिया के लिए मूल्य-निर्धारण और निवेश नीतियों को अंतिम रूप देने हेतु कदम उठाए हैं। आशा है कि इस निवेश नीति के कार्यान्वयन से, देश अगले पाँच वर्षों में यूरिया के विनिर्माण में आत्म-निर्भर हो जाएगा। पोटासिक-फॉस्फेटिक (पीएंडके) उर्वरक के मामले में, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के प्रयोग को बेहतर विस्तार कार्य के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। यह उर्वरक पूरी तरह देश में विनिर्मित होता है। वर्धित उत्पादन से पोटासिक-फॉस्फेटिक क्षेत्र में किए जाने वाले आयातों पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : उर्वरक विभाग]	उर्वरक विभाग ने 02.01.2013 को नई निवेश नीति, 2012 अधिसूचित की है। आशा है कि इस नीति के अनुमोदन से, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश में पहले से मौजूद 220 लाख मी.टन की क्षमता में लगभग 100 लाख मी.टन यूरिया उत्पादन की क्षमता तथा ओएमआईएफसीओ, ओमान से 20 लाख मी.टन क्षमता और जुड़ जाएगी। इससे देश 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। सिंगल सुपर फॉसफेट (एसएसपी) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) एसएसपी को पोषण-तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें एसएसपी पर सब्सिडी इसके पोषण-तत्त्वों के आधार पर दी गयी है तथा एमआरपी को खुला छोड़ दिया गया है। (ii) रॉक फॉसफेट के देशी स्रोत के अलावा, एसएसपी के उत्पादन के लिए एसएसपी यूनिटों द्वारा प्रयोग करने के लिए रॉक फास्फेट के अनेक ग्रेड और उनके मिश्रित तत्त्व अधिसूचित किए गए हैं। (iii) एफसीओ मानक के अनुसार एसएसपी उत्पादित करने के लिए लाभान्वित रॉक फॉस्फेट हेतु, लो ग्रेड रॉक फॉस्फेट की भी अनुमति दी गयी है। (iv) एसएसपी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, नए एसएसपी संयंत्रों को एनबीएस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
34.	67	**वस्त्र** सरकार ने, हाल ही में, हथकरघा बुनकरों और उनकी सरकारी समितियों के ऋणों की माफी के लिए 3,884 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वस्त्र मंत्रालय]	योजनाओं के मानकों के अनुसार, सहकारी-समितियों और व्यक्तिगत बुनकरों के ऋणों की माफी के हैंडलूम पैकेज पर प्रगति हो रही है। अभी तक 24 राज्य सरकारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्य हिस्से के लिए बजट प्रावधान किए हैं। दिसम्बर, 2012 तक, 26 शीर्ष और 6702 प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों की

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			विशेष लेखापरीक्षा पूरी हो गयी है तथा 479.11 करोड़ रुपए की ऋण माफी राशि का आकलन लगाया गया है। इसके अलावा, 40,622 बुनकरों और स्व-सहायता समूहों के ऋण का भी माफी के लिए निर्धारण किया गया है। नाबार्ड ने अभी तक लाभार्थी सहकारी समितियों और व्यक्तियों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। चालू वर्ष के दौरान, बैंकों द्वारा 61.38 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति से अभी तक 16,854 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 22.91 करोड़ रुपए उन्हें संवितरित किए गए हैं। ***कार्य प्रगति पर***
35.	68	मैं अब, पहले से क्रियाशील 4 मेगा हथकरघा क्लस्टरों के अलावा, दो और मेगा क्लस्टरों की घोषणा करता हूँ जिनमें से एक आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटुर जिलों को कवर करेगा और दूसरा झारखंड के गोड्डा और पड़ोसी जिलों को। मैं हथकरघा, विद्युत करघा और चर्म क्षेत्रों के 5 मेगा क्लस्टरों की महिला कामगारों के लिए शयनागारों (डॉरमिट्रियों) की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वस्त्र मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग]	आंध्र प्रदेश के प्रकाशम एवं गुंटुर जिलों और झारखंड के गोड्डा एवं पड़ौसी जिलों के लिए मैसर्स आईसीआरए मैंनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को क्लस्टर प्रबंध और तकनीकी एजेंसी के रूप में चुना गया है। इस प्रयोजनार्थ करार के ज्ञापन पर 15.01.2013 को हस्ताक्षर किए गए। जहां तक हथकरघा, पावरलूम और चर्म क्षेत्र से संबंधित 5 मेगा कलस्टरों में महिला कामगारों के लिए शयनागारों की स्थापना का संबंध है, वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा और पावरलूम कलस्टरों के अलावा, एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं में शयनगारों की स्थापना के लिए नम्यता हेतु अनुरोध किया है। यह निर्णय लिया गया है कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदित परिव्ययों के भीतर इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी। इस समय, चर्म सेक्टर में कोई मेगा कलस्टर स्थापित नहीं किया गया है और मेगा कलस्टर स्थापित होने पर बजट में घोषित सहायता औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दी जाएगी। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
36.	69	गरीब हथकरघा बुनकरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वस्त्र मंत्रालय देश के अनेक भागों में बुनकर सेवा केन्द्रों का संचालन करता है। मैं मिजोरम, नागालैंड और झारखंड में एक-एक केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, बारहवीं योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्सटाइल्स के संवर्धन और प्रयोग हेतु, 500 करोड़ रुपए की प्रायोगिक योजना की घोषणा करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वस्त्र मंत्रालय]	मिजोरम, नागालैंड और झारखंड राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में नए बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, एसएफसी द्वारा प्रस्ताव पर 14.12.2012 को विचार किया गया है और कार्यवृत्त की प्रति सभी संबंधितों को परिचालित की गयी है। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्सटाइल के संवर्धन एवं अनुप्रयोग की प्रायोगिक योजना का संबंध है, इस योजना के लिए एक बजट लाइन सृजित की गयी है। योजना आयोग द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और व्यय वित्त समिति के विचार के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्टेकहोल्डरों के साथ कई दौर के परामर्श किए गए हैं। स्थलों के निरीक्षणों और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए, अभिज्ञात प्रस्तावित स्थलों की सूचना मिल गई है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
37.	70	स्थानीय दस्तकारों और बुनकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मैं महाराष्ट्र के इचलकरन्जी में 70 करोड़ रुपए के बजट आवंटन से एक विद्युतकरघा मेगा क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वस्त्र मंत्रालय]	महाराष्ट्र के इचलकरंजी में एक पावरलूम मेगा कलस्टर की स्थापना के लिए, मैसर्स डीकेटीई सोसाइटी टेक्स्टाइल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इचलकरंजी को चुन लिया गया है। उनके साथ करार के ज्ञापन पर भी 15.01.2013 को हस्ताक्षर किए गए हैं। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
38.	71	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को इक्विटी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं सिडबी के साथ 5000 करोड़ रुपए के इंडिया ऑपरच्यूनिटीज वेंचर फंड की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	इंडिया ऑपरच्यूनिटीज वेंचर फंड की स्थापना अगस्त 2012 में की गयी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
39.	76	इस वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, मैं विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम को 300 करोड़ रुपए के आवंटन का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना का उद्देश्य संरक्षात्मक सिंचाई के तहत और अधिक कृषि क्षेत्रों को लाना है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि और सहकारिता विभाग]	योजना के संचालनात्मक दिशानिर्देश अनुमोदित किए गए हैं और महाराष्ट्र राज्य सरकार को भेजे गए हैं। महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की कार्य-योजनाएं अनुमोदित की हैं और प्रथम किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी गयी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
40.	77	सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शेष कार्यकलापों का कुछ मिशनों में विलय करना चाहती है। ये मिशन निम्नलिखित हैं: (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य धान, गेहूँ, दलहन, ज्वार-बाजरा आदि और चारे के संबंध में उपज के अंतर को पाटना है। चल रहे एकीकृत दलहन ग्राम विकास, पोषक अनाजों का संवर्धन और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम अब इस मिशन का भाग बन जाएंगे; (ii) अति लघु सिंचाई सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग के रूप में शुरू किया जा रहा है। वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को इस मिशन के साथ मिला दिया जाएगा; (iii) राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन का उद्देश्य तिलहनों और पाम तेल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है; (iv) राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य कृषि कार्य में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हेतु किसानों द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देना है; और (v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी में विविधता लाना है। इसमें केसर संबंधी कार्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि और सहकारिता विभाग]	सभी पांच मिशनों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन योजना आयोग से प्राप्त हो गया है तथा व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का सार	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
41.	79	**कृषि ऋण** किसानों को समय पर सस्ते ऋण की आवश्यकता होती है। मैं 2012-13 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह वर्तमान वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 1,00,000 करोड़ रुपए अधिक है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	कृषि ऋण के लिए 5,75,000 करोड़ रुपए का वर्धित लक्ष्य बैकों/ नाबार्ड को सूचित कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
42.	80	किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज सहायता योजना 2012-13 में जारी रहेगी। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, परक्राम्य भाण्डागार रसीद प्रस्तुत करने पर 6 माह तक फसल-पश्च ऋणों पर भी समान ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। इससे किसानों को अपनी उपज भाण्डागारों में रखने हेतु बढ़ावा मिलेगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और बैंकों को अनुदेश 18.09.2012 को भेज दिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
43.	81	छोटे और सीमान्त किसानों को अल्पावधि फसल ऋणों के संवितरण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक अल्पावधि आरआरबी ऋण पुनर्वित्त निधि की स्थापना की जा रही है। मैं, इस निधि के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्तपोषण हेतु नाबार्ड को 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	नाबार्ड को आवश्यक आबंटन किया गया है। आरबीआई ने 24.07.2012 को निधियां आबंटित कर दी हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
44.	82	किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एक प्रभावी लिखत है। केसीसी एक स्मार्ट कार्ड बने उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधित की जाएगी जिससे कि इसका उपयोग एटीएम पर किया जा सके। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	आरबीआई ने संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित दिशा-निर्देश 11.05.2012 को जारी किए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
45.	83	**कृषि अनुसंधान** आने वाले दशकों में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास, उत्पादकता बढ़ाने में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय खोजों पर निर्भर करेगा। हमें पौध और बीज की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जिनसे उपज अधिक हो और इनमें जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध क्षमता हो। मैं, ऐसी वैज्ञानिक खोजों के लिए संस्था और अनुसंधान दल दोनों के लिए पुरस्कारों के रूप में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग]	अनुसंधान प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सात उच्च प्राथमिकता अनुसंधान परियोजनाएं अभिज्ञात की गयी हैं। इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
46.	84	*सिंचाई* जब तक हम जल को एक संसाधन के रूप में नहीं मानते, तो वह दिन दूर नहीं जब जल की कमी से हमारे कृ-ि उत्पादन को खतरा महसूस होने लगेगा। व-र्ा जल संचय योजना का सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए इन योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना आवश्यक है। सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) में ढाँचात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं। एआईबीपी हेतु आबंटन 2012-13 में 13 प्रतिशत बढ़ाकर 14,242 करोड़ रुपए किया जा रहा है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय]	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कमान क्षेत्र विकास और कचरा (वेस्ट) प्रबंध कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्युएम) सहित त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम की पुनर्संरचना के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रत्येक सीएडीडब्ल्यूएम परियोजना का कम से कम 10 प्रतिशत कृ-य कमान क्षेत्र शामिल करने के लिए माइक्रो सिंचाई के संघटक को 12 वीं योजना में सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। ***कार्य प्रगति पर***
47.	85	सिंचाई परियोजनाओं के निधिपो-ाण हेतु प्रचुर संसाधन जुटाने के लिए, सरकारी स्वामित्व वाली सिंचाई और जल संसाधन वित्त कंपनी क्रियाशील की जा रही है। यह कंपनी सूक्ष्म-सिंचाई, ठेके पर खेतीबाड़ी, अपजल प्रबन्धन और स्वच्छता जैसे उप-क्षेत्रों के वित्तपो-ाण पर केंद्रित रहते हुए 2012-13 में अपना कार्य आरंभ कर देगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड ने काम करना शुरू कर दिया है। इसने 28 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना स्वीकृत की है तथा 8 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है। ***कार्रवाई पूर्ण***
48.	86	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा 439 करोड़ रुपए की लागत से मुर्शिदाबाद जिले के कंडी उप-मंडल के लिए बाढ़ प्रबंधन की एक परियोजना अनुमोदित की गई है जिसे बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निधिपो-ाण किया जाना है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय]	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के मूल्यांकन के पश्चात, 438.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कांडी और आसपास के क्षेत्रों में तटबंधों का सुधार एवं सहायक कार्य" नामक स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी समिति द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के लिए मार्च, 2012 में स्वीकार की गयी थी। योजना आयोग ने इस योजना को जून, 2012 में निवेश अनुमोदन प्रदान किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त व-र्ा 2012-13 के दौरान 24.75 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का अनुरोध किया है। 12वीं योजना में , "बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" नामक राज्य सेक्टर की योजना के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य भी चल रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
49.	87	**रा-ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विगत 5 व-र्ा से 8 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से बढ़ रहा है। बेहतर आऊटरीच	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 23.08.2012 को हुई अपनी बैठक में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाने

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		और स्थानीय जरूरतों के माफिक अधिक नम्यता प्रदान करने के लिए, 2012-13 में राज्य सरकारों के सहयोग से "रा-ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" नामक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय]	वाली "रा-ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" नामक एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को शुरू करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ने भी अपने तारीख 28.08.2012 के पत्र द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रा-ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इस "रा-ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" स्कीम के तैयारी कार्यों और उसके क्रियान्वयन को शुरू करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 179.39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
50.	88	सरकार ने देश में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता सृजित करने के उपाय किए हैं। आधुनिक साइलो के रूप में 2 मिलियन टन भंडारण क्षमता के सृजन को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत लगभग 15 मिलियन टन क्षमता सृजित की जा रही है, जिसमें से 3 मिलियन टन भंडारण क्षमता 2011-12 के अंत तक जुड़ जाएगी और 5 मिलियन टन अगले व-र्ा जोड़ी जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग]	निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत, निजी उद्यमियों, तथा केन्द्र और राज्य भांडागार निगमों के माध्यम से 19 राज्यों में लगभग 181.08 लाख टन की क्षमता का सृजन होना है। 130 लाख टन की भंडारण क्षमता के सृजन के अनुमोदन पहले ही दिये जा चुके हैं। पी.ई.जी. के अंतर्गत कुल 37.75 लाख टन क्षमता निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि मार्च, 2013 तक 73 लाख टन की संचयी क्षमता पूरी कर ली जाएगी तथा योजना के अंतर्गत अपने अधीन ले ली जाएगी। सशक्त मंत्री ग्रुप ने 07.02.2012 को आयोजित अपनी बैठक में, एफ.सी.आई. की कुल भंडारण आवश्यकताओं के भीतर, पी.पी.पी. तरीके के माध्यम से साइलो के रूप में 2 मिलियन टन की भंडारण क्षमता के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था। अनेक राज्यों में सृजित की जाने वाली क्षमताओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा स्थापन स्थान राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तय किए गए हैं। एक अंतर-मंत्रालयीय समूह भी परियोजना के सभी पहलुओं पर अपनी अनुशंसाएँ देने के लिए गठित किया गया है, और इसकी पहली बैठक 19.11.2012 को आयोजित की गयी। एफसीआई ने साइलों के निर्माण के लिए एकीकृत परामर्शियों के रूप में क्रिसिल की नियुक्ति की है। बोली दस्तावेजों के मार्च, 2013 तक तैयार हो जाने की संभावना है। ***कार्य प्रगति पर***
51.	91	रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के उद्देश्य प्रभावी रूप से प्राप्त किए जा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए, आधार मंच का प्रयोग करते हुए, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु रा-ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र सृजित किया जा रहा है। यह दिसंबर 2012 तक लागू हो जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग]	भारत सरकार ने 2012-17 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लागत-विभाजन आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ''लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के प्रचालनों के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण'' नामक आयोजनागत स्कीम के संघटक -I का क्रियान्वयन अनुमोदित किया है। इस संघटक में, अन्य बातों के साथ, राशन कार्डों/लाभार्थी डिजीटाइजेशन और मार्च, 2013 तक पूरा किया जाने वाला अन्य डाटाबेस तथा अक्तूबर, 2013 तक पूरा किया जाने वाला सप्लाई-चेन प्रबंध का कंप्यूटरीकरण सम्मिलित है। यह भी निर्णय लिया गया है कि एक बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का एक

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			कतिपय स्तर प्राप्त होने पर, इस कार्यक्रम और नेटवर्क की व्यवस्था करने के लिए कोई संस्था बनाने पर विचार किया जा सकता है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
52.	92	**बहु-क्षेत्रीय पो-ाण संवर्धन कार्यक्रम** भारत की पो-ाहार चुनौतियों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री की रा-ट्रीय परि-ाद में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, चुनिंदा 200 उच्च समस्याग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपो-ाण से निदान हेतु एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम 2012-13 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। यह पो-ाहार, स्वच्छता, पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, महिला शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण योजनाओं में सहयोग करेगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : महिला और बाल विकास मंत्रालय]	200 उच्च समस्याग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपो-ाण से निदान हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए योजना सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गयी थी। तदनंतर नवंबर, 2012 में यह निर्णय लिया गया कि सीमित संसाधनों के मद्देनजर इस पर फिर से विचार किया जाए। तदनुसार ई.एफ.सी. ज्ञापन अंतर-मंत्रालयीय परामर्शों के लिए जनवरी, 2013 में परचालित किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
53.	93	इस संदर्भ में, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना को सुदृढ़ और नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए, व-र्ा 2011-12 में 10,000 करोड़ रुपए की तुलना में, 2012-13 के लिए 15,850 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह वृद्धि 58 प्रतिशत से अधिक बैठती है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : महिला और बाल विकास मंत्रालय]	एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना को सुदृढ़ और नए सिरे से तैयार करने का प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 24.9.2012 को आयोजित हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया है। इस योजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन 22.10.2012 को जारी कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
54.	98	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से देश भर में पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए एक बडे कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्यक्रम पंचायत क्षमता निर्माण हेतु विद्यमान योजनाओं का विस्तार करेगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग]	12वीं योजना अवधि के दौरान, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति द्वारा नवंबर, 2012 में विचार किया गया था। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए एक टिप्पण पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किए जा रहे हैं। ***कार्य प्रगति पर***
55.	99	अपने पिछले व-र्ा के बजट भा-ाण में, मैंने पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख किया था। हमने 2011-12 के बजट अनुमान में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि करके 2012-13 में 12,040 करोड़ रुपए के वर्धित आबंटन से बारहवीं योजना में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य घटक शामिल है जो, चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े	बारहवीं पंच-व-र्ीय योजना में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना को फिर से बनाने का प्रस्ताव है। इस कवायद के पूरा होने तक, बी.आर.जी.एफ. 2012-13 में अपने वर्तमान रूप में जारी है। इसके अंतर्गत बिहार के लिए विशे-ा योजना, ओडिशा के कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट जिलों के लिए विशे-ा योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशे-ा योजना, बुंदेलखंड पैकेज एवं एकीकृत कार्य योजना से मिलकर बना जिला घटक और राज्य घटक सम्मिलित हैं।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		जिलों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रभाव कम करने की विकास परियोजनाएं और एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को कवर करेगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग]	चूंकि पिछले व-र्षों की अप्रयुक्त राशि राज्यों/जिलों के पास पड़ी हुई है, बीआरजीएफ के जिला घटक के लिए किसी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता नहीं है। बीआरजीएफ के राज्य घटक के लिए आबंटन संशोधित स्तर पर बजट स्तर वाला ही अर्थात 6,990 करोड़ बनाए रखे जाने का प्रस्ताव है। ***कार्य प्रगति पर***
56.	100	***ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि*** मैं, इस व-र्ा, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, देश में भांडागारण की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत विशे-ा तौर पर भांडागारण सुविधाएं सृजित करने के लिए उपर्युक्त आबंटन में से 5,000 करोड़ रुपए की राशि अलग से निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	भारतीय रिजर्व बैंक ने 24.07.2012 को आवश्यक निधियों का आवंटन कर दिया है। भांडागारण सुविधाओं के लिए आवश्यक निधि निर्धारण भी किया जा चुका है। ***कार्रवाई पूर्ण***
57.	104	बैंकों द्वारा एक शिक्षा ऋण योजना क्रियान्वित की जा रही है। सुपात्र विद्यार्थियों को ऋण निर्बाध रूप से मिलना सुनिश्चित करने के लिए, मैं इस प्रयोजनार्थ एक ऋण गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	ऋण गारंटी निधि की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण वित्तीय सेवा विभाग में तैयार किया जा रहा है जिसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
58.	105	**स्वास्थ्य** कहते हैं कि अनवरत प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि पिछले एक व-र्ा में पोलियो के एक भी नए मामले की सूचना नहीं थी। विद्यमान यूनिटों को आधुनिकीकृत बनाकर और चेन्नई के पास एक नई एकीकृत टीका यूनिट की स्थापना करके, सरकार टीका सुरक्षा प्राप्त करेगी और रोग उन्मूलन एवं निवारण पर अनवरत दबाव बनाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय]	**विद्यमान यूनिटों का आधुनिकीकरण** (i) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.) कसौली स्थित टीका विनिर्माण सुविधा के डी.पी.टी. समूह का उन्नयन कार्य पूरा कर लिया गया है और उन्नत सुविधा अगस्त 2012 में अनंतिम आधार पर, सी.आर.आई. कसौली द्वारा अपने अधीन ले ली गयी है। (ii) पी.आई.आई., कूनूर में डी.पी.टी. विनिर्माण सुविधा के उन्नयन के लिए व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) की सिफारिशें अनुमोदित कर दी गयी हैं और पर्वतीय क्षेत्र संरक्षण प्राधिकरण समिति (एच.ए.सी.ए.), चेन्नई ने भी नये ढाँचे के निर्माण को अनुमति दे दी है। भवन ऊंचाई को 12 मीटर तक करने की छूट के लिए प्रस्ताव राज्य नगरपालिका प्रशासन और जल पूर्ति विभाग को प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह तमिलनाडु जिला नगरपालिका (हिल स्टेशन) भवन निर्माण नियम, 1993 में यथा-अनुमेय 7.00 मीटर की ऊँचाई से अधिक है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(iii) जहाँ तक बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी का संबंध है, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण से सभी अपेक्षित अनुमोदनों की प्राप्ति के पश्चात, सिविल कार्य शुरू कर दिए गए हैं। **नई वेक्सिन यूनिट की स्थापना** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने सरकारी क्षेत्र में चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में एकीकृत टीका परिसर (आईवीसी) की स्थापना मैसर्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। सिविल कार्य के लिए आदेश जनवरी के तीसरे सप्ताह तक मैसर्स शापूरजी और पालूमजी कंपनी लिमिटेड, दि एल-1 बिडर को दे दिया जाएगा। अन्य इंजीनियरी कार्यों के लिए टेंडर तैयार करने का कार्य चल रहा है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
59.	106	रा-ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ''आशा'' के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। आयोडीन कमी संबंधी गड़बड़ियों से बचाव, 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण और बच्चों के जन्म के बीच बेहतर अंतराल सुनिश्चित करने जैसे दायित्वों को शामिल करते हुए आशा-कार्यकलापों का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। समुदाय स्तर पर, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के साथ ही कुपो-ाण संबंधी कार्यक्रम की सहायता करने के लिए संयोजक के रूप में ''आशा'' के लिए अधिक सक्रिय भूमिका की परिकल्पना की गई है। चूंकि ''आशा'' को कार्यक्रम-वार, नि-पादन आधारित भुगतान मिलते हैं, इससे उनका मेहनताना भी बढ़ जाएगा। मैं, रा-ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2011-12 में किए गए 18,115 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 2012-13 में 20,822 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : महिला और बाल विकास मंत्रालय]	यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर आशा के कार्यकलापों का क्षेत्र बढ़ाया जाए: **प्रतिरक्षण** • संपूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज के अंतर्गत 1 व-र्ा तक सारे टीकाकरण पूरा करने के लिए आशा को प्रत्येक बच्चे के लिए 100/- रुपए। • एक व-र्ा से अधिक और 2 व-र्ा तक के बच्चे के लिए संपूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आशा को अतिरिक्त 50/- रुपए। **रा-ट्रीय आयोडीन कमी गड़बड़ी (आईडीडी) नियंत्रण कार्यक्रम** • देश के उन 303 जिलों, जहां कुल आयोडीन कमी की गडबड़ी 10% से अधिक है, में प्रतिमाह साल्ट के कम से कम 50 नमूनों का परीक्षण करने पर प्रत्येक आशा केंद्र को प्रतिमाह 25 रुपए। **परिवार नियोजन** • विवाह के पश्चात 2 व-र्ा का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए 500/- रुपए। • पहले बच्चे के जन्म के पश्चात 3 व-र्ा का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए 500/- रुपए। **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पो-ाहार समिति (वीएचएसएनसी) की बैठकों का आयोजन:** • वीएचएसएनसी की बैठक और तत्पश्चात महिलाओं और किशोरियों की बैठकों को सुसाध्य बनाने के लिए आशा को प्रोत्साहन के रूप में प्रतिमाह 150/-रुपए। उपर्युक्त निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को आदेश जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
60.	107	शहरी क्षेत्रों में लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को शामिल करते हुए रा-ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लक्ष्य एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना और विद्यमान सरकारी मेडिकल कालेजों का उन्नयन करना है। इस योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि 7 और सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन को इसमें कवर किया जा सके। यह, किफायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल स्कीम की सुलभता को बढ़ाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय]	**रा-ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)** व्यय वित्त समिति ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में मंत्रिमंडल टिप्पण तैयार किया जा रहा है। **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋ-िकेश में स्थापित की जा रही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी 6 संस्थाओं का निर्माण कार्य जोरदार ढंग से चल रहा है और संभावना है कि अस्पताल 2013-14 तक कार्य करना शुरू कर देगा। अन्य दो में से, एक-एक पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में होगा। जमीन अधिग्रहीत की जानी है तथा केंद्रीय सरकार के सुपुर्द कर दी जाएगी। पहले चरण में उन्नयन के लिए हाथ में लिए गए 13 विद्यमान मेडिकल कालेजों में से, 5 मेडिकल कालेजों में सिविल कार्य पूरा हो गया है। एकीकृत ओ.टी. की प्रति-ठापना को छोड़कर, सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है। शे-ा संस्थाओं में कार्य चल रहा है। दूसरे चरण में उन्नयन कार्य के लिए हाथ में लिए गए 6 मेडिकल कालेजों में से, 03 कालेजों अर्थात राजकीय मेडिकल कालेज, टांडा, जवाहर मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अमृतसर मेडिकल कालेज का सिविल कार्य सौंप दिया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज, मदुरै में सिविल कार्य के लिए टेंडर का मूल्यांकन किया जा रहा है/उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नागपुर मेडिकल कालेज के उन्नयन कार्यक्रम में केवल उपस्कर की अधिप्राप्ति सम्मिलित है और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंडित बी.डी. शर्मा चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, रोहतक के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गयी है। तृतीय चरण में 07 और चिकित्सा कालेजों को उन्नयन करने का प्रस्ताव है। इनमें से एक-एक केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तथा दो-दो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। ***कार्य प्रगति पर***
61.	110	पिछले व-र् के बजट में, मैंने "महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि" के सृजन की घो-ाणा की थी। इसे नाबार्ड में स्थापित कर दिया गया है। 2012-13 में 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराते हुए, मैं इस निधि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। यह निधि आजीविका अर्थात रा-ट्रीय ग्रामीण	"महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि" की संग्रह राशि बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। रा-ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका नाम आजीविका कर दिया गया है, देश भर में चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि लक्षित परिणाम प्राप्त हो और उन्हें समय पर सौंपा जा सके। जहां तक महिला स्व-

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आजीविका मिशन के उद्देश्यों को भी सहायता देगी। यह, महिला स्व-सहायता समूहों की बैंक ऋणों तक पहुंच को बढ़ाते हुए उनका सशक्तीकरण करेगी। मैं, महिला स्व-सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्-िक दर पर 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। वे महिला स्व-सहायता समूह, जो समय पर ऋण की अदायगी करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे प्रभावी दर घटकर 4 प्रतिशत रह जाएगी। यह कार्यक्रम, पहले चरण में वामपंथी अतिवाद ग्रस्त जिलों सहित 150 जिलों के चुनिंदा 600 ब्लाकों पर ध्यान देगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग]	सहायता समूहों की ब्याज सहायता का संबंध है, मंत्रिमंडल टिप्पण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
62.	111	यह प्रस्ताव है कि आजीविका के माध्यम से भारत लावलिहुडस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। यह फाउंडेशन, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 170 जिलों को कवर करते हुए सिविल सोसाइटी के कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों में सहायता करेगा और उनका विस्तार करेगा। निजी न्यासों और परोपकारी संगठनों को स्वायत्त निकाय के साथ भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ऐसे विकास की व्यवस्था व्यवसायिक रूप से की जा सके। [नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास मंत्रालय]	भारत ग्रामीण आजीविका प्रति-ठान की स्थापना के प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति द्वारा 14.01.2013 को विचार किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, प्रस्ताव को संशोधित किया जा रहा है ताकि इस समिति का अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। ***कार्य प्रगति पर***
63.	114	एनएसडीसी के भागीदारों ने 24 राज्यों के 220 जिलों में 496 स्थायी और 2429 चल केंद्र खोले हैं। 89,500 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा लगभग 80 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार मिला है। एनएसडीएफ के तहत 10 क्षेत्रीय कौशल परि-ादों को मंजूरी दी गई है। इनमें से ऑटोमोबिल, सुरक्षा और खुदरा क्षेत्रों की 3 कौशल परि-ादों ने कार्य शुरू कर दिया है। व-र्ा 2012-13 हेतु मैं रा-ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) को 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	एनएसडीएफ की वर्तमान निधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त व-र्ा में एनएसडीएफ को और अन्य कोई अतिरिक्त निधि आबंटित न करने का निर्णय लिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
64.	115	कौशल विकास हेतु संस्थागत ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए, मैं पृथक ऋण गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे युवाओं को बाजारोन्मुख कौशल अर्जित करने में फायदा होगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग]	मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी वित्तीय सेवा विभाग में तैयार की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
65.	117	**सामाजिक सुरक्षा तथा कमजोर तबकों की जरुरतें** मैं रा-ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत आवंटन में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 2011-12 में 6,158 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2012-13 में 8,447 करोड़ रुपए कर रहा हूं। क्रियान्वित की जा रही इंदिरा गांधी रा-ट्रीय विधवा पेंशन योजना और बीपीएल लाभार्थियों के लिए इंदिरा गांधी रा-ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन 200 से बढ़ाकर 300 रुपए की जा रही है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग]	मंत्रिमंडल ने 18.10.2012 को प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश 8.11.2012 को जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
66.	118	बीपीएल परिवार के प्रमुख रोजी कमाने वाले 18 से 64 आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर रा-ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत इस समय 10,000 रुपए की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाती है। मैं यह राशि दुगुनी करके 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी का योगदान मुहैया कराने की आशा करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग]	मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव 18.10.2012 को मंजूर कर दिया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश 8.11.2012 को जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
67.	120	***संस्थान जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है*** अनुसंधान और नए ज्ञान का सृजन किसी आधुनिक रा-ट्र की प्रेरक शक्ति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं निम्नलिखित प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं; • ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को 25 करोड़ रुपए; [नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग]	इस प्रस्ताव पर वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा 12.02.2013 को विचार किया जाना है, और आशा है कि अनुदान फरवरी, 2013 के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
		• कोलकाता में आर्सेनिक संदू-ाण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल गुणवत्ता हेतु विश्वस्तरीय केंद्र स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए; [नोडल मंत्रालय/विभाग : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय]	कोलकाता में एक अंतर्रा-ट्रीय जल गुणवत्ता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव व्यय वित्त समिति के विचारार्थ तैयार किया गया है। उपविधियों सहित, संस्था-ज्ञापन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
		• केरल कृ-ि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए; • कृ-ि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक को 50 करोड़ रुपए; • हिसार कृ-ि विश्वविद्यालय को 50 करोड़ रुपए;	सभी 5 राज्य कृ-ि विश्वविद्यालयों के लिए एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव मूल्यांकन एजेंसियों को टिप्पणियों के लिए परिचालित किए गए हैं। जनवरी और फरवरी, 2013 के महीनों में एसएफसी/ईएफसी बैठक करने की योजना बनाई जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		• ओडिशा कृ-ि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 50 करोड़ रुपए; • हैदराबाद में आचार्य एन.जी.रंगा कृ-ि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए; [नोडल मंत्रालय/विभाग : कृ-ि अनुसंधान विभाग]	
		• रा-ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परि-ाद को 15 करोड़ रुपए; [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	रा-ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परि-ाद को संग्रह निधि के रूप में अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संग्रह निधि को प्रशासित करने वाले नियम इस परि-ाद से परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं। आशा है कि अनुदान फरवरी, 2013 के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
		• राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग, ईटानगर को 10 करोड़ रुपए; और [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	10 करोड़ रुपए स्वीकृत करने वाला आदेश 15.01.2013 को जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		• सिद्धार्थ विहार न्यास, गुलबर्गा को पाली भा-ा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए। [नोडल मंत्रालय/विभाग : उच्चतर शिक्षा विभाग]	रा-ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, को पाली भा-ा का संवर्धन कार्य सौंपा गया है। यह संस्थान पाली भा-ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने के लिए सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट गुलबर्गा के साथ कार्य करता रहा है। इन दो संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन नि-पादित करने का प्रस्ताव है, और इस मामले की उच्चतर शिक्षा विभाग में जांच की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
68.	122	सरकार सैन्य बलों के आवासीय क्वार्टरों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 2012-13 में, केंन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए लगभग 4,000 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण परिकल्पित है जिसके लिए 1,185 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। 2012-13 के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए भी 3,280 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें भूमि अधिग्रहण और 27,000 कार्मिकों को रहने के लिए बैरक शामिल हैं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : गृह मंत्रालय]	31.12.2012 तक वास्तविक उपलब्धि रिहाइशी भवनों के लिए 2174 और बैरकों के लिए 87 रही है। इसके अतिरिक्त, 3,718 घरों और 111 बैरकों का निर्माण कार्य चल रहा है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
69.	123	रा-ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की योजना अच्छी प्रगति पर है। इसके अगले दो व-र्ों में पूरी होने की संभावना है। सरकार 18 व-र्ा या अधिक आयु वाले सभी निवासियों को आधार नंबर के साथ निवासी पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जिससे ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों में मदद मिल सके। [नोडल मंत्रालय/विभाग : गृह मंत्रालय]	**रा-ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)** देशभर में एनपीआर के लिए (कागजी प्रपत्र में) जनसांख्यिकीय आकड़ें एकत्रित कर लिए गए हैं (लगभग 1.2 बिलियन जनसंख्या)। भरी हुई एनपीआर अनुसूचियाँ (लगभग 27 करोड़) स्कैन कर ली गई हैं। स्कैन की गई प्रतिकृतियों में से 107.10 करोड़ से अधिक अभिलेखों की डाटा प्रविष्टि (अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भा-ाा में) पूरी कर ली गयी हैं। एनपीआर बायोमीट्रिक नामांकन का कार्य, स्थानीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित करके, किया जा रहा है और 9.21 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के बायोमीट्रिक डाटा पूरे कर लिए गए हैं। **निवासी पहचान-पत्र (आरआईसी)** देश में एनपीआर योजना के तहत, 18 व-र्ा और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी सामान्य निवासियों को निवासी पहचान-पत्र जारी करने के प्रस्ताव का व्यय वित्त समिति ने मूल्यांकन किया है। व्यय वित्त समिति ने 5552.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस योजना की सिफारिश की है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेने की कार्रवाई चल रही है। ***कार्य प्रगति पर***
70.	126	मैं संसद के वर्तमान सत्र में काले धन पर सदन में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	'काला धन संबंधी श्वेत पत्र' 21 मई, 2012 को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
71.	127	***सरकारी अधिप्राप्ति कानून*** सरकार एक सरकारी अधिप्राप्ति कानून को अधिनियमित करने के प्रति बचनबद्ध है ताकि सरकारी खरीद में विश्वास बढ़ाया जा सके और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यदक्षता सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में संसद के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : व्यय विभाग]	सरकारी अधिप्राप्ति विधेयक, 2012 संसद में 14.5.2012 को पुर:स्थापित किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण***
72.	142	दबाव वाले कुछ अवसंरचना क्षेत्रों में निम्न लागत वाली निधियां प्रदान करने के लिए, विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज दरों पर कर रोकने की दर को तीन व-र्ों के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ये क्षेत्र हैं : • विद्युत; • एयरलाइन;	वित्त विधेयक, 2012 के पारित होने से, ये उपबंध लागू हो गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		• सड़क तथा पुल; • पत्तन एवं पोत कारखाने; • किफायती आवास; • उर्वरक; और • बाँध। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	
73.	152	पूंजी बाजारों में लेन-देन लागतों को कम करने के उद्देश्य से, मैं नकद सुपुर्दगी लेन-देनों पर प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में 20 प्रतिशत (0.125 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत) की कटौती का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग]	एसटीटी में कमी करने संबंधी उपबंध 01 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त हो गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
74.	154	मैं आक्रामक कर परिवर्जन योजनाओं के विरुद्ध एक सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (जीएएआर) आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग समुचित मामलों में ही जीएएआर पैनल द्वारा समीक्षा करके किया जाता है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2012 के जरिए, आय कर अधिनियम में सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम जोड़े गए हैं। इन उपबंधों को सरकारी संशोधन के जरिए आस्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात, एक विशे-ाज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं जिनमें यह निर्णय भी सम्मिलित है कि आय कर अधिनियम के अध्याय X-क के उपबंध 01.4.2016 से प्रवृत्त होंगे। ***कार्रवाई पूर्ण***
75.	155	बेहिसाबी धन के सृजन और उपयोग को रोकने के अनेक उपाय करने का मेरा विचार है। इसके लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं: • विदेश में धारित आस्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता लागू करना। • विदेश में धारित आस्तियों के मद्दे मूल्यांकन के संबंध में आकलन को 16 व-र्ा तक पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करना। • 2 लाख से अधिक राशि की बुलियन अथवा आभू-ाण की नकद खरीद पर स्रोत पर कर संग्रहण। • विनिर्दि-ट प्रारंभिक सीमा से ऊपर की स्थावर सम्पत्ति (कृ-ाि भूमि से भिन्न) के अंतरण पर स्रोत पर कर कटौती।	उपायों की ये श्रृंखलाएं वित्त विधेयक, 2012 में प्रस्तुत की गई थी और अंतत: ये, अचल संपत्ति संबंधी स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों के सिवाय, वित्त विधेयक, 2012 का हिस्सा हैं। इस कर कटौती को, वित्त अधिनियम, 2012 के रूप में विधेयक पारित करते समय, सरकारी संशोधनों के दौरान वित्त विधेयक से हटा दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		• कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क में व्यापार पर स्रोत पर कर संग्रहण। • शेयरधारकों से प्राप्त निधियों के लिए एकाधिकार वाली कम्पनियों पर प्रमाण का दायित्व बढ़ाना तथा उचित बाजार मूल्य से अधिक के शेयर प्रीमियमों पर कर लगाना। • आय की स्लैब पर ध्यान दिए बिना, अस्प-टीकृत धन, ऋणों, निवेशों, व्यय आदि पर 30 प्रतिशत की उच्चतम दर पर कराधान। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	
76.	168	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर के बीच सामंजस्य बैठाने के उपाय के रूप में, कई समन्वित प्रयास किए गए हैं। इनमें एक सामान्य सरलीकृत पंजीकरण प्रपत्र तथा केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर के लिए सामान्य विवरणी, जिसे ईएसटी-1 नाम दिया जाएगा, शामिल हैं। यह सामान्य विवरणी केवल एक पृ-ठ की होगी। इससे, इस समय दो विवरणियों के 15 पृ-ठों में काफी कमी होगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर के लिए एक सामान्य पंजीकरण प्रपत्र और सामान्य विवरणी सार्वजनिक कर दी गई है। सरकारी और विभागीय अधिकारियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं। केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड ने महानिदेशक, सेवा कर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। ***कार्य प्रगति पर***
77.	169	सेवा कर में, संशोधन प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण तथा निपटान आयोग की शुरुआत की जा रही है जिससे ज्यादा आसानी से विवादों के निपटान में सहायता मिलेगी। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	संशोधन प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण से संबंधित सांविधिक उपबंध वित्त अधिनियम, 2012 के अधिनियमन की तारीख अर्थात 28 मई, 2012 से प्रभावी हैं। निपटान आयोग के लिए, नियम निर्दि-ट करते हुए तारीख 29.05.2012 की अधिसूचना संख्या 16/2012-एसटी जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
78.	171	आपूर्ति नियमों के स्थान, जो सेवा प्रदान करने के स्थान को अवधारित करेंगे, को हिताधिकारियों (स्टेकहोल्डरों) की टिप्पणियों हेतु आम जानकारी में लाया जा रहा है और नकारात्मक सूची प्रभावी होने पर उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। ये नियम उन सभी मुद्दों, जो वस्तु एवं सेवा कर के अन्ततोगत्वा प्रारम्भ करने हेतु अन्तर-राज्य सेवाओं के कराधान में कदाचित उठ सकते हैं, का मूल्यांकन करने हेतु संसूचित चर्चा आरम्भ करने के लिए एक संभावित पृ-ठभूमि भी प्रदान करेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	तारीख 20.06.2012 की अधिसूचना संख्या 28/2012-एसटी जारी की जा चुकी है। सेवा प्रदान करने के स्थान संबंधी नियमों का उपबंध 01 जुलाई, 2012 से लागू हो गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
79.	172	मैं सेवा कर और उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में सामान्य कर संहिता की सम्भावना की जांच के लिए एक अध्ययन टीम की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं जो सही समय पर यथा सम्भव इन दो विधानों को सुमेलित करने के लिए यह संहिता अपनायी जा सकती है। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के लिए एक सामान्य कर संहिता की संभावना की जांच करने के लिए, एक अध्ययन दल गठित किया गया है। **कार्रवाई पूर्ण**
80.	173	जबकि वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा निविन्टि सेवाओं पर करों के संबंध में सामने आ रही समस्याओं को इस वर्न्न के प्रारम्भ में सुलझा लिया गया था, वहीं सेवा निर्यात के सम्बन्ध में करों का संवितरण काफी समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। मैं अब एक ऐसी नई योजना की घोन्णा करता हूं जो भारी-भरकम प्रलेखन अथवा साक्ष्यांकन का सहारा लिए बिना धन वापसी प्रक्रिया को सरलीकृत बनाएगी। वर्धित प्रोत्साहन के रूप में, ऐसी धनवापसियां उन कर योग्य सेवाओं पर करों के सम्बन्ध में भी अनुज्ञेय होंगी, जो छूट प्राप्त हैं। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	यह योजना धन-वापसी दावों की सुरक्षा, शर्तों, परिसीमाओं और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हुए, तारीख 18.06.2012 की अधिसूचना संख्या 27/2012-सीई(एनटी) के जरिए लागू की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
81.	174.	कराधान बिन्दु से संबंधित नियमों को भी और अधिक स्पन्टता प्रदान करके तथा बाधाओं को दूर कर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में सेनवेट क्रेडिटों की पुनर्बहाली की जा रही है। कारोबार को सुगम बनाने तथा भ्रन्टाचार पर रोक हेतु कई अन्य प्रस्ताव हैं। मैं उन सभी प्रस्तावों पर यहां चर्चा कर इस सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। [नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग]	कराधान नियमों के बारे में तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना संख्या 04/2012-एसटी और तारीख 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 37/2012-एसटी जारी की गई। सेनवैट क्रेडिट नियमों के संबंध में तारीख 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 18/2012-सीई(एनटी) और तारीख 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 28/2012-सीई(एनटी) जारी की जा चुकी हैं। कतिपय कर-योग्य सेवाओं के मामले में शुल्क कटौतियों के संबंध में 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 26/2012-एसटी जारी की जा चुकी है। ***कार्रवाई पूर्ण***